Government Of Bihar
Social Welfare Department
स0क0स्था0–01–मु0–41/2015 4190 / 7.9.17
Notification

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Social Security Service Rules, 2004 :-

1. **Short title, extent and commencement.** - (1) These Rules may be called the Bihar Social Security Service (Amendment) Rules, 2017.
   2. It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   3. It shall come into force at once.

2. Amendment in Rule 2 of the said Rules, 2004 . - The words "Labour Planning and Training Department" used in clause (f) of Rule 2 of the said Rules, 2004 shall be substituted by the words " Social Welfare Department of Bihar Government" and thereafter the following clauses (g) and (h) shall be added :-

(g) "Controlling officer" means the Principal Secretary / Secretary Social Welfare Department.

(h) "Appointing Authority" means Social Welfare Department Government of Bihar."

3. Amendment in Rule 4 . of the said Rules, 2004 . - sub- Rule (1) of rule 4 of said Rules, 2004 shall be substituted by the following :-

(1) This service will be under the administrative control of Social Welfare Department. The Cadre structure of this service category will be as follows :-

Designation	Level
1. Assistant Director	Basic Category
2. Deputy Director	First Promotional Level
3. Joint Director	Second Promotional Level

4. Amendment in Rule 13 of the said Rules, 2004. -

(1) The following shall be added in sub rule (1) of Rule 13 of the said Rules, 2004 :

It will be compulsory to get the following training in the probation period :-

(A) For officers appointed by direct recruitment :–

(i) Institutional training - 03 months

(ii) Treasury training - 01 month

(iii) Training under District Magistrate (including Weekly Training Protocol in various branches)	-	03 month
(iv) Training under Assistant Director Social Security	-	01 month
(v) Training under Block Development Officer.	-	01 month
(vi) Computer Training	-	01 month
		(Total Ten months)

(B) For Officers appointed by Promotion :-

(i) Institutional training	-	03 months
(ii) Treasury training	-	01 month
(iii) Computer Training	-	01 month
		(Total Five months)

(2) Sub rule 4 of Rule 13 of the said Rules, 2004 shall be substituted by the following : –

"(4) Confirmation (except for the person promoted in this cadre) :-

At the end of the probation period, persons appointed on probation shall be eligible for confirmation in the service under the following conditions on expiry of the probation period :-

(a) Passing of the Departmental Examination Conducted by The Department and Treasury training Certificate according to the prescribed procedure must be obtained.

(b) The officer appointed on probation may be confirmed at the end of the probation period if he has passed in the prescribed criterion and Departmental Examination.

(c) If he has obtained training prescribed from time to time, and after the training, he has passed the examination, if any.

(d) In this period, his conduct and service have been satisfactory and regular."

(3) The following sub rule (5) shall be added after sub rule (4) of Rule 13 of the said Rules, 2004:-

" (5) **Annual increment** – For first annual increment, it is necessary for the gazetted Officers to pass the Hindi Noting and Drafting Examination conducted by the Rajbhasha and in the Departmental Examination. In case of not organizing the Hindi Noting and Drafting Examination / Departmental Examination between the period of the appointment and first annual increment, the first annual increment will not be stopped."

5. Amendment in Rule 14 of the said Rules, 2004 . – Sub- rule (1) of rule 14 of the said Rules, 2004 shall be substituted by the following –

"(1) The Departmental Examination will be conducted by the Revenue board. For passing in each paper in the Departmental Examination, it will be necessary to get 60% marks.

The subjects of the examination will be the following :-

First Paper	-	Bihar Service Code, Pension Rule and law Rules
Second Paper -		Treasury Code, Finance Rules, Practice and Procedure, Board Miscellaneous Rules . General Provident Fund Rules and TA Rules.
Third Paper	-	Hindi (Written/Interview)
Fourth Paper	-	Accounts (Without Books)
Fifth Paper	-	Accounts (With Books)
Sixth Paper	-	Various Acts/ Regulations/Orders/Schemes etc. of related to Social Security and Disability and various state and central schemes related thereto"

6. Substitution of Rule 16 of the said Rules, 2004 .– Rule 16 of the said Rule, 2004 shall be substituted by the following :

"16 Inter-se-seniority of the members of the cadre will be according to their merit-list determined by the Commission :

Provided that Inter-se- seniority before coming in to force of these Rules will remain unchanged :

Provided further that in any recruitment year the person appointed by promotion will be senior to the person appointed by the Competitive Examination in the concerned year.

7. Substitution of Rule - 17 of the said Rules, 2004. –

Rule-17 of the said Rules, 2004 shall be substituted by the following :-

" **17 Residual case** – Regarding such matters which are not specifically covered by these Rules, the members of the cadre shall be governed by the rules, regulations or orders for the officers / employees of the appropriate level of the State Government.

8. Addition of new Rule 18 and 19 in the said rules, 2004. -

The following new Rules 18 and 19 shall be added after rule 17 of the said Rules, 2004:

" **18 – Removal of difficulties.** - If any difficulty arises to make effective the provisions of these Rule , the Government may after consultation with the Law Department and General

Administration Department make such provision, from time to time, by such general or special direction which is not inconsistent with the provisions of these Rules and is necessary and expedient for the removal of the said difficulty.

19- Interpretation - Where any doubt arises regarding the interpretation of any of the provisions of these Rules, the decision will be taken by the department after consultation with the Law Department and its decision will be final.

By Order of the Governor of Bihar

7.9.17

(Sujata Chalana)
Additional Secretary,
Social Welfare Department

Memo No. स0क0स्था0–01–मु0–41/2015 4190 **Patna, Dated :-** 7.9.17

Copy to :- E-gazette cell, Finance Deptt. Govt. of Bihar, Patna with C.D and Hard Copy for publication in Bihar Official Gazette.

7.9.17

Additional Secretary,
Social Welfare Department

Memo No. स0क0स्था0–01–मु0–41/2015 4190 **Patna, Dated :-** 7.9.17

Copy to :- Member Board of Revenue/All Principal Secretary/ Secretary/Secretary, Bihar Public Service Commission, Patna/ Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Bihar, Patna for information.

7.9.17

Additional Secretary,
Social Welfare Department

Memo No. स0क0स्था0–01–मु0–41/2015 4/90 **Patna, Dated :-** 7.9.17

Copy to :- Accountant General (Accounts & Entitlement) Bihar, Patna / Officer in charge, Finance (Personal grievance fixation cell) Department, Bihar, Patna / All Divisional Commissioner/ All District Magistrate / Director,Social Security & Disability/ Director, Social Welfare/ Director,ICDS/ All DPOs for information & necessary action.

7.9.17

Additional Secretary,
Social Welfare Department

Memo No. स0क0स्था0–01–मु0–41/2015 4190 **Patna, Dated :-** 7.9.17

Copy to :- Private Secretary to Minister, Deptt. Of Social Welfare/ Principal Private Secretary to Departmental Principal Secretary and All Departmental Officers for information.

7.9.17

Additional Secretary,
Social Welfare Department

7.9.17

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

—:: अधिसूचना ::—

संख्या– स० क० स्था०–01–मु०–41 / 2015 4190 दिनांक– 7.9.17

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्द्वारा " बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा नियमावली, 2004 " का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

1. **संक्षिप्त नाम और विस्तार** :– (1) यह नियमावली "बिहार सामाजिक सुरक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017" कही जा सकेगी।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।

2. **उक्त नियमावली, 2004 के नियम–2 में संशोधन :–**

   उक्त नियमावली, 2004 के नियम–2 के खण्ड "च" में प्रयुक्त शब्द "श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग" शब्द *बिहार सरकार का समाज कल्याण विभाग " द्वारा प्रतिस्थापित* किए जाएँगे तथा उसके बाद निम्नलिखित खण्ड *" (छ) "* एवं *"(ज)" जोड़े* जाएँगें :–

   (छ.) "नियंत्री पदाधिकारी" से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग;

   (ज.) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का समाज कल्याण विभाग;

3. **उक्त नियमावली, 2004 के नियम–4 में संशोधन :–**

   उक्त नियमावली, 2004 के नियम–4 का उप नियम–(1) निम्नलिखित द्वारा *प्रतिस्थापित* किया जाएगा–

   (1) *यह सेवा समाज कल्याण विभाग के प्रशासी नियंत्रण में होगी। इस सेवा कोटि के पदों की संवर्ग संरचना निम्नवत् होगी :–*

पदनाम	*स्तर*
(क) सहायक निदेशक	*मूल कोटि*
(ख) उप निदेशक	*प्रथम प्रोन्नति स्तर*
(ग) संयुक्त निदेशक	*द्वितीय प्रोन्नति स्तर*

4. **उक्त नियमावली, 2004 के नियम–13 में संशोधन :–**

   (1) उक्त नियमावली, 2004 के *नियम–13* के उप नियम *(1) मे निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :–*

   " परिवीक्षा अवधि में निम्नलिखित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा :–

   (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों हेतु –

   (i) संस्थागत प्रशिक्षण – 03 माह,

   (ii) कोषागार प्रशिक्षण – 01 माह,

7.9.17

(iii) *जिला पदाधिकारी के यहाँ प्रशिक्षण – 03 माह,*
(विभिन्न शाखाओं में साप्ताहिक प्रशिक्षण प्रोटोकॉल सहित)

(iv) *सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के यहाँ प्रशिक्षण – 01 माह,*

(v) *प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के यहाँ प्रशिक्षण – 01 माह*

(vi) *कम्प्यूटर प्रशिक्षण – 01 माह*

(कुल दस माह)

(ख) प्रोन्नति द्वारा नियुक्त पदाधिकारियों हेतु –

(i) *संस्थागत प्रशिक्षण – 03 माह,*

(ii) *कोषागार प्रशिक्षण – 01 माह,*

(iii) *कम्प्यूटर प्रशिक्षण – 01 माह*
(कुल पाँच माह)

(2) उक्त नियमावली, 2004 के नियम 13 के उपनियम *(4)* निम्नलिखित द्वारा *प्रतिस्थापित* किया जाएगा :–

"(4) " सम्पुष्टि :– परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति (इस संवर्ग में प्रोन्नत व्यक्ति को छोड़ कर) परिवीक्षावधि समाप्त होने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन सेवा में सम्पुष्टि के पात्र होंगे :–

(क) विभाग द्वारा प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता एवं विहित प्रक्रियानुसार कोषागार प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

(ख) परिवीक्षा पर नियुक्त पदाधिकारी को परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर सम्पुष्ट किया जा सकेगा, यदि वह विहित मापदण्ड एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

(ग) यदि वह समय–समय पर विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो तथा प्रशिक्षण के उपरान्त यदि परीक्षा हो, तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो।

(घ) इस अवधि में उसका आचरण और सेवा संतोषजनक एवं नियमित रहा हो।"

(3) उक्त नियमावली, 2004 के *नियम 13* के उपनियम *(4) के बाद निम्नलिखित उपनियम (5)* जोड़ा जाएगा :–

*"(5) **"वार्षिक वेतनवृद्धि** :– प्रथम वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु राजभाषा द्वारा आयोजित राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। नियुक्ति और प्रथम वेतनवृद्धि की अवधि के बीच हिन्दी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा/विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में प्रथम वेतनवृद्धि नहीं रोकी जाएगी।"*

5. <u>उक्त नियमावली, 2004 के नियम 14 में संशोधन :–</u>

उक्त नियमावली, 2004 के *नियम 14 का उपनियम (1)* निम्नलिखित द्वारा *प्रतिस्थापित* किया जाएगा:–

"(1) विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद, बिहार द्वारा संचालित की जाएगी। विभागीय परीक्षा में प्रत्येक पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए 60% (साठ प्रतिशत) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

" परीक्षा के विषय निम्नलिखित होंगे :–

<u>प्रथम पत्र :–</u> बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली एवं विधि नियमावली।

<u>द्वितीय पत्र :–</u> कोषागार संहिता, वित्तीय नियमावली, प्रैक्टिस एण्ड प्रोसिडियोर, बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली, सामान्य भविष्य निधि नियमावली एवं यात्रा भत्ता नियमावली।

<u>तृतीय पत्र :–</u> हिन्दी (लिखित/साक्षात्कार)।

<u>चतुर्थ पत्र :–</u> लेखा (पुस्तक रहित)।

<u>पंचम् पत्र :–</u> लेखा (पुस्तक सहित)।

<u>षष्टम् पत्र :–</u>सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता से संबंधित विभिन्न अधिनियम/विनियम/आदेश/कानूनी प्रावधान इत्यादि तथा इस से संबंधित केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाएँ ।"

6. <u>उक्त नियमावली, 2004 के नियम 16 का प्रतिस्थापन :–</u>

उक्त नियमावली, 2004 के *नियम 16* निम्नलिखित द्वारा *प्रतिस्थापित* किया जाएगा :–

"16" वरीयता संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अवधारित उनकी मेधा क्रम के अनुसार होगी :

परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व की आपसी वरीयता अपरिवर्त्तनीय रहेगी:

परन्तु और कि किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे। "

7. <u>उक्त नियमावली, 2004 का नियम 17 का प्रतिस्थापन :–</u>

उक्त नियमावली, 2004 का *नियम 17 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :–*

*"17 **अवशिष्ट मामले :–** ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं है; संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे। "*

8. <u>नियम–18 एवं 19 को जोड़ा जाना :–</u>

उक्त नियमावली, 2004 के नियम 17 के बाद निम्नलिखत नए नियम 18 एवं 19 जोड़े जाएँगे :–

*"**<u>18 कठिनाईयों का निराकरण :–</u>** यदि इस नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो सरकार, समय–समय पर, ऐसा सामान्य या विशेष निदेश द्वारा, ऐसा प्रावधान, विधि विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के पश्चात, कर सकेगी जो इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो और उक्त कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक एवं समीचीन हो।*

19 निर्वचन :– जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ विनिश्चय विभाग द्वारा, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात, किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

7.9.17

(सुजाता चलाना)
सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–स0 क0 स्था0–01–मु0–41/2015 4190 पटना, दिनांक– 7.9.17

प्रतिलिपि :– ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

7.9.17

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– स0 क0 स्था0–01–मु0–41/2015 4190 पटना, दिनांक– 7.9.17

प्रतिलिपि :– सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

7.9.17

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– स0 क0 स्था0–01–मु0–41/2015 4190 पटना, दिनांक–7.9.17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय बिहार, पटना/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7.9.17

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक– स0 क0 स्था0–01–मु0–41/2015 4190 पटना, दिनांक–7.9.17

प्रतिलिपि :– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

7.9.17

सरकार के अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

7.9.17